already said, the Prevention of Food Adulteration Act does need a review for stringent punishment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House stands adjourned to reassemble at 2.00 p.m.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported dropsy epidemic in various parts of the country suspected to have been causedly adulterated mustard oil

—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will further discuss Calling Attention motion. We have already exhausted half and hour. Now we have to be a little bit brief. Shri Rawat...

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सत्र का दूसरा मौका है, जब हम मिलावट वाले मामले पर चर्चा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसी नियति-सी बन गई है कि आज हर चीज में मिलावट, जालसाजी और डुप्लीकेसी हो रही है--आज दवाइयों, खाने के तेल और वनस्पति तेल में मिलावट हो रही है, यहां तक कि दिमाग और विचार-धारा में भी मिलावट है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बच्चा पैदा करने में मिलावट है या नहीं ?

श्री हरीश रावत : माननीय सदस्य इस बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वह ज्यादा अनुभवी हैं।

मिलावट का सबसे ज्यादा शिकार वह वर्ग होता है, जो गांवों में रहता है, जिसकी जानकारी के स्रोत कम हैं या नहीं हैं और जो समाज का कमजोर वर्ग है। उस वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको जालसाजों के चंगुल से बचाने के लिए कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : माननीय सदस्य अंग्रेजी शब्दों को यूज कर रहे हैं। भाषा में भी मिलावट है !

श्री हरीश रावत : दिल्ली में जो मामला हुआ, उसकी तो खबर यहां तुरन्त लग गई, क्योंकि वह राजधानी के निकट की बात थी, जिसके बारे में कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की जा सकती थी और मंत्री महोदय के मंत्रालय ने बड़ी तत्परता के साथ स्थिति से निपटने के लिए काम भी किया है। मगर कुछ दूर-दराज के ऐसे इलाके हैं, जहां के लोगों की बात यहां नहीं पहुंच पाती है, जहां भ्रष्ट व्यापारी और भ्रष्ट अधिकारी, ये दोनों तंत्र मिलकर लोगों को नकली और मिलावट वाली चीजें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह मंत्री महोदय के मंत्रालय द्वारा परिवार नियोजन का ड्राइव तथा अन्य ड्राइव चलाए जाते हैं, उसी तरह कोई ड्राइव इस बात के लिए भी चलाया जाना चाहिए कि लोगों को नकली और मिलावट वाली चीजों के प्रति सजग किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय, खाद्य और पूर्ति मंत्रालय तथा राज्य सरकारों की मशीनरी के सहयोग से इस बारे में कोई पावरफुल ड्राइव चलाया जाना चाहिए और लोगों को प्रापर एजूकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए।

ज्यादातर खुदरा व्यापारी इस तरह की हरकतें करते हैं लेकिन कभी-कभी इस प्रकार की चीजें बड़ी-बड़ी मिलों में भी की जाती हैं। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहां पर तो हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है और जो कन्ट्रोल है भी वह नामिनल है। बड़ी-बड़ी मिलों में कोई मिलावट न हो सके ताकि खुदरा व्यापारी उस चीज को बेचने

के लिए बाध्य न हों —इसको देखने के लिए अभी तक जो संगठन है उसको और अधिक संगठित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है—पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकारों के पास जो मशीनरी है जो कि मिलावट को चैक करती है, सैम्पल वगैरह भरती है उसको मैं पूरी तरह से करैक्ट तो नहीं कहता लेकिन वह मशीनरी करैक्ट जरूर है, व्यापारी लोग उनको खरीदकर रखते हैं, उनकी तरफ से उनकी माहवारी बंधी रहती है। इस मशीनरी को कारगर बनाने के लिए, रैण्डम सैम्पलिंग करने के लिए और टाइमली चेकिंग करने के लिए राज्य सरकारों को आप क्या सलाह देंगे— यह मैं जानना चाहूंगा।

तीसरी चीज यह है कि सैम्पल्स की एनालिसिस करने के लिए जो लेबोट्रीज है उनसे भी व्यापारी लोग मिले रहते हैं। किसी अच्छे ब्राण्ड की कंपनी ने अगर कोई मिलावट की और वह चीज छोटे व्यापारियों तक बेचने के लिए पहुंची, इस बीच में अगर सैम्पल भर दिया जाता है तो वह सैम्पल जब लेबाट्री में जाता है तो वहां पर भी मिल करके उस सैंपल को पास करवा लेते हैं और इस तरह से वह पकड़े नहीं जाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

आपने दिल्ली के सम्बन्ध में जो स्थिति थी उसको बताया है लेकिन इस स्थिति पर तब तक काबू नहीं पाया जा सकता है जब तक कि आप आई० पी० सी० में संशोधन करके और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है उसमें संशोधन लाकर और अधिक सख्त दण्ड की व्यवस्था न कर दें। इसके साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है गवाही आदि का उसका भी सरलीकरण होना चाहिए क्योंकि कोर्ट में कई मामले साधारण एविडेंस में स्टैंड नहीं करते हैं, छूट जाते है। इसलिए आई० पी० सी० में संशोधन करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह बताने का कष्ट माननीय मन्त्री जी करें।

श्री० बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया है कि मिलावट को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। यह सही बात है कि समाज में जो दुष्ट व्यक्ति हैं वे पैसा कमाने में लगे हुए हैं और वे अक्षम्य अपराध करते हैं। इसके लिए जो भी संशोधन कानून में होने की आवश्यकता है, वह होना ही चाहिए। मैंने अपने मेन आंसर में कहा था कि फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट में भी कुछ प्राविजन्स होने चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो संशोधन लाने आवश्यक हैं उनको लाने के बारे में हमको विचार करना होगा।

माननीय सदस्य ने यह भी सही फर्माया है कि राज्यों में जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनकी संख्या भी अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी टेक्नीकल कांपिटेन्सी भी बढ़ानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और जो बिज़नेस आर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए टेक्नीकल स्टाफ को सपोर्ट देनी होगी, उनकी ट्रेनिंग और एफिसिएन्सी बढ़ानी होगी और सफीसिएन्ट नंबर आफ इंस्पेक्टर्स रखने होंगे।

यह सही है कि मिलावट करने वाले होते हैं। कहीं भी मिलावट कर सकते हैं। मिलावट सीड्स मिक्स करने के समय में, आयल मैन्युफेक्चर करने के समय में, स्टोरेज के समय में और रिटेल आउटलैट के समय में, कहीं पर भी मिलावट हो सकती है। यह सही है कि उनको पकड़ना और सजा देना सरकार का काम है, लेकिन इसमें सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता जरूर है। इस देश में कन्ज्यूमर मूवमेंट जोर से बढ़ाना चाहिए। जहां कन्ज्यूमर मूवमेंट नहीं होता है, वहां—

people are not conscious about their rights to have unadulterated consumer articles, and

ये लोग पैसा कमायेंगे। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस देश में कन्ज्यूमर मूवमेंट जोर से शुरू होना चाहिए।

With this people will be more cautious in consuming and purchasing food and also the activities of such people will be so restricted that if they resort to such activities, they will be easily caught.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समस्या पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह समस्या कोई एक-दो रोज की नहीं है। इस सरकार की विफलता रोज़ हर तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना मिलकर साबित हो जाती है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि कालिंग एटेंशन पर विचार करने के वक्त फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर को भी यहां पर होना चाहिए था। इसमें उनका भी जूरिसडिक्शन है।

श्री हरीश रावत : घी विक्रेता लोकदल का आदमी था, जो पकड़ा गया है।

श्री जगपाल सिंह : जहां घी में चर्बी हो रही है, वहां कांग्रेस का भी आदमी है। जिन कारखानों में घी में चर्बी हो रही है, वे कांग्रेस के भी हैं। अगर इसमें लोकदल का आदमी है।

श्री हरीश रावत : बी० जे० पी० के लोग होंगे। ख्वामखाह आप हमारे ऊपर···

श्री जगपाल सिंह : छोड़िए इस बात को। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में लोग दो तरीके से मर रहे हैं। जो लोग भूख से मर रहे हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग वे हैं, जिनको इस देश में खाने को नहीं मिलता है। वे भी धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिन लोगों में थोड़ी बहुत क्रय शक्ति है, वे खरीद करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार मिलावट करने वालों को छूट देकर, सजा न देकर, उनको भी मौत की तरफ ढकेल रही है। किसी और देश में यदि मिलावट का कोई केस आता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी मिलावट करने वाले को सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया है और न ही उसको जेल भेजा है और न ही सजा उसको दी है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहां पर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब सदन में दिया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर जवाब देने से पहले इन्क्वायरी कराई? यदि इन्क्वायरी कराई, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया? यदि गिरफ्तार नहीं किया है, तो इस सरकार में बैठे हुए मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जवाब देते हैं कि भाग गए, क्यों भाग गए? कहां भाग गए, क्या आपकी मशीनरी भगाने में शामिल है या पुलिस भगाने में शामिल है या सरकार में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स उनको भगाने में शामिल है? आपको बताना चाहिए कि वे अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किए गए? क्या यह मिलावट जहां पर तेल पेला जाता है, वहां पर हुई या दूसरे विक्रेताओं के यहां हुई? क्या आपने इसकी छानबीन की है और आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? अभी सदन में घी के अन्दर, जैन ग्रुप, शुद्ध वनस्पति के अन्दर मिलावट की चर्चा खत्म भी नहीं हुई है, आज यह आयल में मिलावट की चर्चा सुनने में आ रही है। यदि विरोधी पक्ष के लोग सत्ता में बैठे होते, तो कांग्रेस के लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी के लोग, इस देश में साम्प्रदायिक झगड़े कराने में पीछे नहीं हटते। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यदि इस काम में हिन्दुस्तान के मुसलमान या ईसाई या बैकवर्ड-माइनोरिटी के लोग होते तो इस देश में काम्यूनल रॉयट हो जाता।

वे बड़े आदमी हैं, उनको इस ब्यूरोक्रेसी और सरकार का समर्थन हासिल है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा—आज भी उस चर्बी के टैंकर्स पंजाब में पकड़े गये हैं, पार्लियामेंट में और अखबारों में आज

भी इसकी चर्चा हुई है—मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने उस चर्बी को घी में इस्तेमाल करने की परमीशन दी थी ? अगर परमीशन नहीं दी गई तो उनको बन्दरगाह पर ही क्यों नहीं पकड़ा गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं—जब यह माल वहां से चला और पंजाब पहुंचता है तो क्या रास्ते में किसी तरह के कोई पर्चे नहीं काटे गये, आपका एक्साइज है, सेल्ज टैक्स है, इन्टर-स्टेट बैरियर्स हैं, यह माल बिना पर्चे कटे कैसे पंजाब पहुंच गया ? इन सब बातों से आप की मंशा साफ है, इसमें आपकी सरकार शामिल है। आज यदि घी बनाने वाला कारखाना किसी मुसलमान का होता तो उस कारखाने को फूंक दिया जाता, सरकार के खिलाफ पूरे देश में हंगामा होता, हो सकता है कि कम्यूनल राएट्स भी हो जाते। लेकिन चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में है इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है···

श्री हरीश रावत : वे हिन्दुस्तानी हैं।

श्री जगपाल सिंह : कौन हिन्दुस्तानी नहीं है ? क्या जैन हिन्दुस्तानी नहीं हैं या श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तानी नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इन बातों के खिलाफ बहुत सख्ती से कार्यवाही करने की जरूरत है। लोगों को स्लो-प्आएज़न किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग इस तरह की एडल्ट्रेटैड चीजें खा कर मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इनके अधिकारी इसमें शामिल हैं। मैं आपसे मांग करता हूं—जहां आप उन इलाकों के विक्रेताओं को गिरफ्तार करेंगे वहां उन इलाकों में जो आपकी सरकारी मशीनरी है, फूड डिपार्टमेंट से संबंधित, होम मिनिस्ट्री से संबंधित, आप उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही कीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : In the Calling Attention also, you are having too much of adulteration. You are mixing many subjects. Don't adulterate the Calling Attention.

श्री जगपाल सिंह : वह बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें खाने की चीजों से संबंधित हैं। यह मामूली बात नहीं है, इस देश में इस तरह से हर रोज लोगों की जानें जांय और यह सरकार चुप बैठी रहे, यह इस सरकार और इस संसद में बैठने वाले संसद सदस्यों को कम विफलता नहीं है। आज माननीय मंत्री जी ने इस कालिंग एटेन्शन का जो जवाब दिया है—उनको इस तरह का गैरजिम्मेदाराना जवाब नहीं देना चाहिए था। वह कहते हैं—सरसों में खसखस पैदा होती है, जब सरसों पकती है उस वक्त यह दाना भी पकता है। हम सब लोग इस बात को जानते है, मैं भी एक छोटा खेती का काम करने वाला हूं—इस तरह की कोई चीज सरसों में नहीं होती है। आप केवल उन मुलजिमों को बचाना चाहते हैं। आप यह कहकर बचाना चाहते हैं कि यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि एडल्ट्रेशन किस स्टेज पर किसने किया। यह खसखस का मामला नहीं है, इसके पीछे कुछ और राज है। इस खाद्य तेल में कुछ दूसरे कैमिकल्ज़ जो खाने की चीजों में नही मिलाये जाते, उनका इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी बहुत से देहात से आने वाले लोग बैठे है—वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं—अगर सरसों के साथ खसखस पैदा होती तो देहातों में यह बीमारी पहले से होती। लेकिन देहातों में यह बीमारी कभी पैदा नहीं हुई।

मेरा एक निवेदन यह है कि जहां जहां इस तेल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेहरबानी करके उस को रोकिये। दिल्ली के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चुरू में सात आदमी मर चुके हैं। 300 से ज़्यादा आदमी गांवों के अन्दर मर चुके हैं, तीन-चार-सौ से ज्यादा आदमी आज भी बीमार हैं, उनके पैर, मुँह सूज चुके हैं, हार्ट के बारे में जो सिम्पटम्ज बतलाई गई हैं, वे ज्यों-की-त्यों उनके अन्दर हैं। चुरू और दिल्ली के चारों ओर इस तरीके की यह बीमारी हो रही है और मेरा कहना

यह है कि आप इस तरीके की व्यवस्था कीजिए, जिससे इस पर काबू पाया जा सके। जो लोग ऐसा काम करते हैं, उनको तुरन्त गिरफ्तार कीजिए और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हों, उनको पकड़िये। सस्ते दामों में लोग यह ले जाकर महंगे दामों पर देहातों में सरसों का तेल कहकर बेचते हैं। उनको कोड़ियों के भाव यह चीज मिली और बहुत महंगे दामों पर इसको बेचा गया। इसलिए मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जवाब देने से पहले आप ने कहीं न कहीं सम्पर्क किया होगा कि किन लोगों ने यह काम किया है और उनमें से कितनों को आपने अरेस्ट किया और अगर अरेस्ट नहीं किया, तो क्यों नहीं किया और इसके पीछे क्या कारण हैं। आपकी अपनी जो ब्योरोक्रेसी है, जो आपका फूड डिपार्टमेन्ट है और जो होम मिनिस्ट्री है, इन सबकी कहां-कहां पर कमजोरी है, जिसके कारण वे लोग फरार हो चुके हैं, उसको आप देखिए।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि इस तरीके के इडलट्रेशन को रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, जिससे यह एडलट्रेशन न होने पाए। ऐसी मिलावटी खाद्य चीजों के खाने से गरीब आदमी ही मरते हैं और जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, वे नहीं मरते। तो इन गरीब लोगों को बचाने के लिए आप भविष्य में क्या उपाय उठाने जा रहे हैं। इन बातों का मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं और अन्त में यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार इनकोम्पीटेन्ट है क्योंकि आज तक वह ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई है क्योंकि उनसे इनके पास पैसा आता है और उन्हीं के इशारे पर यह सरकार चलती है।

SHRI B. SHANKARANAND : Perhaps, he did *japna* of Indiraji six times during his five minutes speech.

बगैर यह कहे, किसी चीज का समाधान नहीं होता, ये क्या करें। इनकी एक ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी कहें तो इन्दिरा जी का नाम जरूर लेंगे। यह आदत इनकी पड़ गई है और आप इस आदत को छोड़ दो। आप इससे भी ज्यादा अच्छा कह सकते हैं अगर आप यह आदत छोड़ दो।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Instead of mentioning her name, you could have said 'the Prime Minister'. (*Interruptions*)

SHRI B. SHANKARANAND : If the hon. Members take pleasure in taking the name of Indiraji and have formed a habit of levelling all sorts of allegations against her...

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA : Not personally.

SHRI B. SHANKARANAND : I am not talking about all Members, but I am talking about those Members, who are making baseless allegations against her. Making such baseless allegations against the Prime Minister will not serve the cause of the people.

श्री जगपाल सिंह : पर्सनली इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई एलीगेशन नही हैं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं।

SHRI B. SHANKARANAND : The food adulterators do not belong to any particular religion, caste or political party. They have their own religion, discipline, thinking and tricks of the trade.

MR. DEPUTY-SPEAKER : They belong to the anti-social elements party.

SHRI B. SHANKARANAND : Let us not politicalise it. We must try to help each other. The Government expect cooperation from the public in finding out and detecting these people and punishing them as early as possible.

I have already said that the Food Adulteration Act is under review, as far as the punishment and other matters are concerned. I agree that the poor people, who are in far-flung rural areas, do suffer at the hands of these people.

When this was brought to the notice of the Health Ministry on the 5th, immediately a team went into action. On the 6th, the samples were lifted and the analysts sent the report on the 16th. Today is 18th. Action is being taken against the concerned people. We are not leaving anybody who is making money at the health of the people.

श्री जगपाल सिंह : मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि आपने हाउस को मिसलीड करने के लिए खसखस शब्द का उपयोग किया है। मैं उसका जवाब चाहता हूं। यह रिपोर्ट आपको कहां से मिली कि सरसों के दाने के साथ खसखस का दाना पकता है। यह किस सोर्स से आप कह रहे हैं। जहां तक हम जानते हैं अफीम के डोडे को खसखस कहते हैं। (व्यवधान)

SHRI B. SHANKARANAND : I have never said at any time, at any stage, that khaskhas seeds are mixed with mustard seeds.

श्री जगपाल सिंह : कैबिनेट के जिम्मेदार मंत्री यह जवाब दे रहे हैं। यह बहुत ही सीरियस मामला है।

श्री बी० शंकरानन्द : आप जवाब पढ़िए।

श्री जगपाल सिंह : यह आपका ही जवाब है। यह आपके स्टेटमेंट का पहला पैरा है—यह बीज भी मौसमी तौर पर सरसों के बीज़ों के साथ पक जाते हैं और इस प्रकार सरसों के बीजों के साथ इनकी भी कटाई हो जाने की संभावना होती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under the rules, in a Calling Attention a member will put only one question. When so many issues are raised, how can he answer them all ?

श्री जगपाल सिंह : आपके जवाब में ही यह लिखा हुआ है कि यह बीज भी मौसमी तौर पर सरसों के बीजों के साथ पक जाते हैं और इस प्रकार सरसों के बीजों के साथ इनकी भी कटाई हो जाने की संभावना होती है।

श्री बी० शंकरानंद : यह बिल्कुल गलत है। मैं इसे इंगलिश में पढ़कर सुना देता हूं—

I have not said it.

SHRI JAGPAL SINGH : You have said it in your statement.

SHRI B. SHANKARANAND : I will again read my statement in English. Please listen to it.

> "Seeds of Argemone Mexicana (prickle poppy) closely resemble mustard seeds and grow wild in the country."

(Interruptions)

SHRI JAGPAL SINGH : He is misleading the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If the Minister is misleading the House, you have the prescribed procedure for dealing with it. You can bring a motion.

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : I am on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No point of order. What is this ? At any time on the Calling Attention motion a Member will put only a question and the Minister will reply.

(Interruptions)

श्री रामविलास पासवान : आप प्वाइन्ट आफ आर्डर सुनिए। मंत्री जी ने कैसे कह दिया कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

(Interruptions)

SHRI RASHEED MASOOD (Saharanpur) : He is on a point of order. You have to hear him. *(Interruptions)*. It is very bad.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, you don't reply to him.

(Interruptions)

SHRI RASHEED MASOOD : You cannot make your own rules.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is all right.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, your name is not here.

(*Interruptions*)

SHRI RASHEED MASOOD : Then, how do you want to run the House ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am calling Mr. Rasheed Masood. Mr. Rasheed Masood, are you prepared to put your question ?

SHRI RASHEED MASOOD : Yes, I will.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then put it.

SHRI RASHEED MASOOD : How can I ? Let them resume their seats.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then I will go to the next Member, Mr. Rajesh Kumar Singh.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then I will go to the next item. Calling Attention is over. Now. Mr. Buta Singh.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, I beg to move.......

(*Interruptions*)

SHRI RASHEED MASOOD : You cannot run the House according to your whims and fancies.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You see the rules.

SHRI RASHEED MASOOD : First of all, you cannot refuse to hear the point of order. You cannot run the House according to your whims and fancies. You have to listen to his point of order. (*Interruptions*). What do you think of yourself ? There are rules. You have to act according to rules.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot compel me.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have allowed only Mr. Jagpal Singh. I will hear him.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is what I am telling. All of you may sit down. Mr. Jagpal Singh, you put your question.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, I am standing on a point of order. Why don't you hear me ?

(*Interruptions*)

श्री जगपाल सिंह : मैंने इनसे सवाल किया था अपनी स्पीच में कि मैं देहात से आया हूं और जानता हूं कि सरसों के खेत में खसखस नाम की कोई चीज उस सीजन में नहीं पैदा होती है। मैंने प्रश्न किया था कि किस आधार पर आपने कहा कि यह खसखस का फल भी साथ-साथ पक जाता है और इसलिए उसका तेल उसमें मिल जाता है। मैंने इनटेंशनली यह सवाल किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुलजिमों को बचाना चाहते हैं यह तर्क देकर। इसलिए मैं फिर से यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने जवाब में कैसे यह कहा था कि···(व्यवधान)

श्री वी० शंकरानन्द : मैंने नहीं कहा।

श्री जगपाल सिंह : मैं इंगलिश भी पढ़ दूंगा। हिन्दी भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने कहा कि इंगलिश में यह नहीं है। मैं कहता हूं कि इंगलिश वर्शन में यह है।

"यह उपज भी मौसमी तौर पर सरसों के बीजों के साथ साथ पक जाती है और इस प्रकार

सरसों के बीजों के साथ साथ इनकी भी कटाई हो जाती है..."

यानी सामल्टेनियसली विद दि मस्टर्ड। (**व्यवधान**)

अब आप इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल है कि यह जवाब देने में आपका इरादा इस हाउस को और माननीय सदस्यों को मिसलीड करने का था।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां तक मैं हिन्दी जानता हूं साथ साथ का मतलब है "एलांग विद" I have never said in my statement that Argemone are thrown along with mustard seeds.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has never said.

SHRI B. SHANKARANAND : I have never said. Let there not be any misunderstanding in the mind of the House.

SHRI RASHEED MASOOD : Have you not said simultaneously ?

SHRI B SHANKARANAND : Simultaneously is entirely different. Look here. (*Interruptions*). By 'simultaneously' I mean, growth may be there and mustard seeds may also be growing in the farms.

SHRI RASHEED MASOOD : You used 'along with'.

SHRI B. SHANKARANAND : Not 'along with. (*Interruptions*).

SHRI RASHEED MASOOD : He has said 'along with'.

श्री जगपाल सिंह : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर यह बीज सरसों के साथ पैदा नहीं होता है तो वहां से काट कर लाकर सरसों में मिलाया जाता है — यही आपका मतलब है। अगर यह आपका मतलब नहीं हैं तो फिर सरसों के साथ पैदा होता होगा। दोनों में से एक चीज है। या तो साथ पैदा होता है, अगर साथ पैदा नहीं होता है तो कहीं और पैदा होता है और वहां से काट करके, साफ करके सरसों में मिलाया जाता है। इन दोनों बातों में से एक बात आप बताइये कि क्या होता है ?

SHRI B. SHANKARANAND : If the hon. Member wants to put his word in my mouth, I am not willing to accept that. I have made my intentions clear. I am not defending anybody. I do not want to mislead the House. We will take all possible action against this adultry. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, in Calling Attention, these five names are there on ballot and only these five names will be called. No body will be called in the middle.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : How can we conduct proceedings in this manner ?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर इतना ही है कि मन्त्री का जो जवाब मिला है उनके सेक्रेटेरियट की तरफ से हिन्दी में...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record.

(*Interruptions*)**

श्री रशीद मसूद : मोहतरिक डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं किन अल्फाज के साथ अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि जो बयान मोहतरिम मिनिस्टर साहब ने दिया है, उससे कहीं ज्यादा इतलाआत अखबार में आ चुकी है। यह इलताआत की बात नहीं है, जिस तरीके का बयान दिया गया है, वह बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं जानता हूं कि इलैक्शन्स आ रहे हैं। मैं

**Not recorded.

यह भी जानता हूं कि फण्ड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फण्ड कलैक्शन लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करके इकट्ठे किए जाएं, यह बहुत ही ताज्जुब और अफसोसनाक बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं···(व्यवधान)···

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not a general discussion. This is call-attention. Whatever he says, it is for the Minister to reply.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are discussing about a serious subject. I am very sorry for this sort of interruption.

SHRI RANA VIR SINGH (Kaiserganj) : He is speaking against the Party. He should not have made this reference.

ऐसी बात कह रहे हैं, तो पार्टी के खिलाफ है। मंत्री जी तो जवाब देंगे ही। कहा जा रहा है कि फण्ड कलैक्ट कर रहे हैं, यह बात गलत है। ···(व्यवधान)···

श्री रसीद मसूद : मोहतरिम, अभी कुछ दिन पहले हमारे सामने घी में मिलावट का मामला आया था, उसके एक हफ्ते के बाद ही यह तेल में मिलावट का मामला आया है। तेल में मिलावट के मसले को लेकर जिस तरीके से मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं, जैसा कि श्री जगपाल सिंह जी ने कहा है, उन्होंने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। जैसे कि सरसों और प्रिकली-पॉपी एक ही जगह पैदा होते हों, एक ही जगह कटाई होती हो, जिसकी वजह से मिक्स हो गया हो और तेल निकाल लिया गया हो। तेल निकालने के बाद इक्का-दुक्का वाकया हो गए हों। मोहतरिम मिनिस्टर साहब यह इतना हल्का मामला नहीं है, जितना कि आप इसको हल्का बना देना चाहते हैं। आपके सामने सिर्फ दो ही सूरतें हों सकती है—या तो आप आवाम की सेहत के फिरमन्द नहीं हैं या कुछ मजबूरियां ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, the hon. Member cannot show his back to the Chair.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, the hon. Minister cannot speak while sitting. (*Interruptions*)

श्री रसीद मसूद : मोहतरिम, मैं कह रहा था कि मोहतरिम मिनिस्टर साहब इस मामले में ज्यादा सीरीयस नहीं है। आवाम की सेहत खराब होती है, तो हो जाए। आवाम मरते हैं, तो मर जाएं, लेकिन जो खास मकामिद हैं, उन मकासिदों का पूरा होना उनके लिए जरूरी है। आजकल के समय में, इधर के माननीय सदस्य हो या उधर के माननीय सदस्य हो, उन सबको फिक्र लगी हुई है, क्यों इलैक्शन आ रहे हैं। इलैक्शन आने के साथ-साथ उनके इन्तजामात का भी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यह शक यकीनन में तबदील हो जाता है कि रोजाना जो इतने बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं, सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। डेलीब्रेटली यह काम किया गया हो, तेल निकाला गया हो, इतने बड़े इलाके में तेल बेचा जा रहा है और आप इस मामले को ऐसे पेश करना चाहते हैं, कि जैसे चन्द लोगों के साथ इक्का-दुक्का वाकया हो गया हो। किसी बेचारे तेली ने तेल निकाल लिया हो और उसको लाकर दिल्ली में किसी एक-आध घर में बेच दिया हो। यह ऐसा मामला नहीं है।

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, इनके ऊपर भूतसवार है।

श्री रशीद मसूद : मेरे ऊपर भूतसवार है, तुम्हारे ऊपर पैसा···(व्यवधान)···पैसा बेहतर है या भूत बेहतर है···(व्यवधान)···

श्री बूटा सिंह : आप बैठिये। उन पर बी० जे० पी० सवार है, भूत सवार नहीं है।

श्री रसीद मसूद : आप पर क्या सवार है ?

यह रैकेट एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके अन्दर बड़े-बड़े सेठ इन्वाल्व्ड हैं। अगर आप इसका नकाब उठाएंगे तो मुमकिन है उधर बैठनेवालों के चेहरे भी उसमें दिखलाई दे जायें। इसलिए दरख्वास्त है कि इस मसले को किसी खास मकसद से न उठाया जाए, बल्कि अवाम की सेहत को मद्देनजर रखकर उठाया जाए। अवाम की सेहत का ख्याल रखने के लिए जरूरी है कि यह बात दोबारा न हो, आइन्दा न हो।

अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि फूड-एडल्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की जरूरत है, लेकिन यह तरमीम कौन लाएगा, मैं लाऊंगा या जगपाल सिंह लायेंगे या बनातवाला साहब लायेंगे या शास्त्री जी लायेंगे ? तरमीम तो आपको लानी है, लेकिन आप लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि बिल लाने से कहीं ऐसा न हो कि वे मुआमलात जिनको आप 1984 से पहले-पहले करना चाहते हैं, डिले हो जायं।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : कहीं आपका दिमाग फिर तो नहीं गया है ?

श्री रशीद मसूद : मेरा दिमाग तो फिरा है या नहीं फिरा है, अलग बात है, लेकिन आपका जरूर फिर गया है।

मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं—(1) फूड-एडल्ट्रेशन एक्ट में तरमीम वे कब तक लायेंगे ? फूड-एडल्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की ही जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा एक्ट से भी वह काम चला सकते हैं, बशर्ते कि चलाना चाहें। लेकिन चलाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आज उस आदमी का चालान हो सकता है जो सामने भैंस का दूध निकाल रहा है, लेकिन इंस्पैक्टर को पैसे नहीं दे रहा है। इंस्पैक्टर उसके दूध का सैम्पल भरके भेजेगा और वह सैम्पल एडल्ट्रेटेड निकलेगा।

(2) जब यह इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसके लिए वाइडेस्ट-पासिबिल पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। आपके टी०वी० पर देहाती प्रोग्राम होता है, लेकिन आप उसमें गाने सुनवाते हैं, कहानी-किस्से सुनवाते हैं, बेहतर यह था कि इसके बारे में टी० वी० पर डिटेल में बतलाना चाहिए था। इस साल जब तक खबर नहीं आई थी, अगर यह बीमारी मुझे हो जाती तो मैं भी आसानी से दो-तीन दिन घर में पड़ा रहता। लिहाजा इसकी वाइडेस्ट पब्लिसिटी होना चाहिए और मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसके लिए क्या कदम उठाये हैं ?

(3) आपने जो टीम भेजी थी, इतने सीरियस मसले पर सैम्पिल लेने के लिए, क्या उसके साथ आपने कुछ ऐसे लोगों को भी भेजा था जो देहातों के अन्दर पब्लिसिटी का काम करेंगे ? वे जनता को बताते कि यह इस तरह की बीमारी है और फलां-फलां जगहों पर इसके इलाज की सहूलियत है।

(4) दवाइयों के मामले में यह आलम है कि हम जैसे लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर कहलाते हैं, अगर सीरियस बीमारी हो जाय तो चार-पांच दिन तक दवा नहीं मिलती है, स्लिप भेजो तो आज सुपर बाजार बन्द है, कल फलां डाक्टर नहीं है, परसों फलां आदमी मौजूद नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि जो लोग मर रहे हैं उनको दवाइयां नहीं मिल रही होंगी, जिस तरह से कि उनको मिलनी चाहिए।

(5) आपने कहा है कि इंस्पैक्टर्स बढ़ायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं—कितने आदमी मरेंगे तब आप इंस्पैक्टर्स बढ़ायेंगे ? आप उनकी तादाद बतला दें क्योंकि आप हर दफा यही कह देते हैं कि हम इंस्पैक्टर्स बढ़ायेंगे। आखिर इसकी कोई हद होती है, आप बतला दीजिए कि इतने आदमी मरेंगे तब बढ़ायेंगे, अगर नहीं मरेंगे तो नहीं बढ़ायेंगे, ताकि हम काल-एटेंशन न दें। जब मरने वालों की तादाद पूरी हो जाएगी तब हम आपसे कहेंगे कि जितने

लोगों की आप जान लेना चाहते थे, वे मर गये हैं, अब इन्स्पैक्टर्स बढ़ा दीजिए ।

अभी आपने "प्रिकल-पापी" के बारे मे बताया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह किन-किन इलाकों में होता है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में जो वाइड डिस्टेन्स है क्या यह इन सब इलाकों में होता है, अगर नहीं होता है तो इन इलाकों में तेल की सप्लाई कहां-कहां से होती है—क्या आपने इसकी जांच की है?

شری رشید مسعود (سہارنپور) ۔ محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ اپنی بات شروع کروں کیونکہ جو بیان محترم منسٹر صاحب نے دیا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اطلاعات اخبار میں آچکی ہے۔ یہ اطلاعات کی بات نہیں ہے یا جس طریقے کا بیان دیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوس ناک بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ الیکشن آرہے ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فنڈس کی ضرورت پڑے گی لیکن فنڈ کلیکشن لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرکے اکٹھے کئے جائیں یہ بہت ہی تعجب اور افسوس ناک بات ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ (انٹرپشن)

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not a general discussion. This is call-attention. Whatever he says, it is for the Minister to reply. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are discussing about a serious subject. I am very sorry for this sort of interruption.

SHRI RANA VIR SINGH (Kaiserganj) : He is speaking against the Party. He should not have made this reference.

ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے خلاف ہے۔ منتری جی تو جواب دیں گے ہی کہا جا رہا ہے کہ فنڈ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے۔ (انٹرپشن)..

شری رشید مسعود: ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے گھی میں ملاوٹ کا معاملہ آیا تھا اس کے ایک ہفتے کے بعد ہی یہ تیل میں ملاوٹ کا معاملہ آیا ہے۔ تیل میں ملاوٹ کے معاملے کو لیکر جس طریقے سے منتری مہودے نے جواب دیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ شری جگپال سنگھ جی نے کہا ہے۔ انھوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ سرسوں اور بر کلی اور پاپی ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہوں ایک ہی جگہ کٹائی ہوتی ہو۔ جس کی وجہ سے مکس ہو گیا ہو اور تیل نکال لیا گیا ہو۔ تیل نکالنے کے بعد اکا دکا واقعہ ہو گئے ہوں محترم منسٹر صاحب یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے جتنا کہ آپ اس کو ہلکا بنا دینا چاہتے ہیں۔

آپکے سامنے صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ عوام کی صحت کے فکر مند نہیں ہیں یا کچھ مجبوریاں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہتے۔

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, the hon. Member cannot show his back to the Chair.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : Sir, the hon. Minister cannot speak while sitting. (*Interruptions*)

شری رشید مسعود: محترم میں کہہ رہا تھا۔ کہ محترم منسٹر صاحب اس معاملے میں زیادہ سیریس نہیں ہیں۔ عوام کی صحت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے عوام مرتے ہیں تو مر جائیں۔

لیکن جو خاص مقاصد ہیں ان مقاصد کا پورا ہونا ان کیلئے ضروری ہے۔

آج کل کے کہنے ہیں ادھر کے مانئے سدس ہوں یا ادھر کے مانئے مدفیہ ہوں ان سب کو فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن آرہے ہیں الیکشن آنے کے ساتھ ساتھ ان کے انتظامات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ سب یقیناً شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ روزانہ جو اتنے بڑے پیمانے پر ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔

سرکار کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا ہے۔ ڈیلی بریلی یہ کام کیا ہو تیل نکالا گیا ہو۔ اتنے بڑے علاقے میں تیل بیچا جا رہا ہے اور آپ اس معاملے کو ایسے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے چند لوگوں کے ساتھ اکا دکا واقعہ ہو گیا ہو۔ کسی بیچارے تیلی نے تیل نکال لیا ہو اور اس کو لاکر دلی میں کسی ایک آدھ گھر میں بیچ دیا ہو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔

شری رام پیارے پانیکا: مانئے ور ان کے انکے اوپر بھوت سوار ہے۔

شری رشید مسعود: میرے اوپر بھوت سوار ہے تو تمہارے اوپر بھی... (انٹرپشن)...

پیسہ بہتر ہے یا بہت بہتر .... (انٹرپشن) ...

شری بوٹا سنگھ : آپ بیٹھئے۔ ان پر بی جے پی سوار ہے بہت سوار نہیں ہے۔

شری رشید مسعود : آپ پر کیا سوار ہے یہ ریکٹ بہت بڑا ریکٹ ہے۔ جس کے اندر بہت بڑے بڑے سیٹھ انوالوڈ ہیں اگر آپ اس کا نقاب اٹھائیں گے تو ممکن ہے ادھر بیٹھنے والوں کے چہرے بھی اس میں دکھائی دے جائیں۔ اس لئے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو کسی خاص مقصد سے نہ اٹھایا جائے بلکہ عوام کی صحت کو مدنظر رکھ کر اٹھایا جائے۔ عوام کی صحت کا خیال رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ یہ بات دوبارہ آئندہ نہ ہو۔

ابھی ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ فوڈ ایڈلٹریشن ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے لیکن یہ ترمیم کون لائے گا۔ میں لاؤں گا یا جگپال سنگھ لائیں گے۔ یا بنات والا صاحب لائیں گے یا شاستری جی لائیں گے ترمیم تو آپ کو لانی ہے لیکن آپ لانا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ بل لانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ معاملات جن کو آپ ۱۹۸۴ء سے پہلے پہلے کونسا کرنا چاہتے ہیں۔ یا مسئلے ہیں ڈھیلے ہو جائیں۔

پروفیسر ستیہ سنگھ چھپرال : کہیں آپ کا دماغ پھر تو نہیں گیا ہے۔

شری رشید مسعود : میرا دماغ تو پھرا ہے یا نہیں پھرا ہے الگ بات ہے لیکن آپ کا ضرور پھر گیا ہے۔

میں منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں (۱) فوڈ اڈلٹریشن ایکٹ میں ترمیم وہ کب تک لائیں گے۔ فوڈ اڈلٹریشن ایکٹ میں ترمیم کی ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ موجودہ ایکٹ سے جو کام چلا کرتے ہیں بشرطیکہ چلانا چاہیں۔ لیکن چلانا نہیں چاہتے۔ اس لیے آپ آج اس آدمی کا چالان ہو سکتا ہے جو سامنے بھینس کا دودھ نکال رہا ہے لیکن انسپکٹر کو پیسے نہیں دے رہا ہے۔ انسپکٹر اس کے دودھ کا سیمپل بھر کر بھیجے گا اور وہ سیمپل اڈلٹریٹ نکلے گا۔

(۲) جب یہ اتنی خطرناک بیماری ہے تو اس کے لیے وائڈ پبلسٹی یا ببل پبلسٹی دی دی جانی چاہئے۔ آپکے ٹی وی پر دیہاتی پروگرام ہوتا ہے لیکن آپ اس پر اگانے سنواتے ہیں کہانی قصے سنواتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ اس کے بارے میں ٹی وی پر ڈیٹیل میں بتلانا چاہئے تھا۔ اس سال جب تک خبر نہیں آئی تھی اگر یہ بیماری مجھے ہو جاتی تو میں بھی آسانی سے دو تین دن گھر میں پڑا رہتا لہذا اس کی وائڈیسٹ پبلسٹی ہونی چاہیئے۔ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کیا قدم اٹھائے ہیں۔

(۳) آپ نے جو ٹیم بھیجی تھی اتنے سیریس مسئلے پر سیمپل لینے کیلیے کیا اس کے ساتھ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی بھیجا تھا جو دیہاتوں کے اندر پبلسٹی کا کام کریں گے۔ جو جنتا کو بتاتے یہ اس طرح کی بیماری ہے اور فلاں فلاں جگہوں پر اس کے علاج کی سہولیت ہے

(۴) دوائیوں کے مقابلے میں یہ عالم ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پارلیمنٹ ممبر کہلاتے ہیں اگر سیریس بیمار ہو جائیں تو چار پانچ دن تک دوا نہیں ملتی ہے سلیپ بھیجو تو آج پر بازار بند ہے کل فلاں ڈاکٹر چھٹی پر ہے پرسوں فلاں آدمی موجود نہیں ہے۔

اس لیے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ مر رہے ہیں۔ ان کو دوائیاں نہیں مل رہی ہوں گی۔ جبکہ ضرورت ہے کہ ان کو ملنی چاہیئے۔

(۵) آپ نے کہا کہ انسپکٹرس بڑھائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے آدمی مریں گے۔ تب آپ انسپکٹر کو بڑھائیں گے۔ آپ انکی تعداد بتلا دیں۔

کیونکہ آپ ہر دفعہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم انسپکٹرس بڑھائینگے آخر اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ بتلا دیجیئے کہ اتنے آدمی مرینگے تب بڑھائیں گے اگر نہیں مریں گے تو نہیں بڑھائیں گے۔ تاکہ ہم کال اٹینشن نہ دیں۔ جب مرنے والوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تب ہم آپ سے کہیں گے کہ جتنے لوگوں کی آپ جان لینا چاہتے تھے وہ مر گئے ہیں۔ اب انسپکٹرس بڑھا دیجیئے۔

ابھی آپ کو پریکل۔ پاپی کے بارے میں بتایا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کن کن علاقوں میں ہوتا ہے۔ دلی۔ راجستھان گجرات ان علاقوں میں جو گائڈ وائڈ ڈسٹینس ہیں کیا یہ ان سب علاقوں میں ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو ان علاقوں میں تیل کی سپلائی کہاں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے اس کی جانچ کی ہے۔

श्री बी० शंकरानंद : माननीय सदस्य ने इतने सीरियस मामले पर बातें करते हुए उनका मजाक कर दिया, क्योंकि इसका सम्बन्ध उन्होंने इलेक्शन से जोड़ दिया। आप तमाम सिचुएशन के बारे में उतने सीरियस नहीं थे। शायद माननीय सदस्य की पार्टी जब पावर में थी, उस वक्त जो करते थे उसकी याद आ रही है।

श्री दौलत राम सारण : हमारी पार्टी ऐसे लोगों से पैसा नहीं लेती है। जो मतदाता हैं, जो मतदान करते हैं उनसे ही पैसा लेती है।

SHRI B. SHANKARANAND : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I had requested the House not to politicalise health and medical issues of this country, but still the hon. Member is indulging in these things. I have already said that the Act needs a review and the review will be undertaken, and if there is any amendment needed, it will be done. I have already said on more than one occasion on the floor of the House that the personnel manning the Inspectorate of health administration machinery should be strengthened ; the laboratories also should be strengthened

and they should be uptodate and fully technically qualified people should be employed as food inspectors. I have said that on more than one occasion, and we have requested the States and Union Territories to take action and necessary steps in this regard.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की चर्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था। खसखस के सम्बन्ध में जो चर्चा चली, मैं उसमें इस वक्त नहीं जाना चाहता लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनके सचिवालय ने जो रिपोर्ट उन्हें दे दी, उसीको उन्होंने सदन के समक्ष रख दिया। नहीं तो इतनी बड़ी जो नासमझी लग रही थी, वह पैदा न होती।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): यह कहकर बड़ा अपमान कर रहे हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : मेरी ऐसी मंशा नहीं है। अगर ऐसी बात लग रही है, तो मैं शब्द वापस ले लेता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये चीजें हो रही हैं। सिंह साहब ने भी यह पूछा था कि क्या पहले भी इस तरह के खसखस के दाने सरसों के बीज में डाले गये थे और उनके साथ मिलने से जो तेल निकला, क्या उनसे इस तरह की मिलावट आ सकती है। आपने ऐसी संभावना व्यक्त की है लेकिन इतने लम्बे इतिहास में आपको कहीं न कहीं ऐसी बात जाहिर हुई होगी। मैं जानना चाहता हूं कि पहले कितनी बार ऐसा हुआ है और कितने बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है?

दूसरी बात यह है कि आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आपका जो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान है, उनका दल ऐसे रोगियों के पास गया और उन्होंने इस सारी बात को एनेलाइज किया और सारे सैम्पुल लिये। तो क्या उन्होंने यह बताया है कि खासतौर पर इस तरह की बीज मिलाने से ऐसी मिलावट हो सकती है, जिससे यह बीमारीहु ईहै। इस घटना को हुए इतने दिन हो गये हैं और आपके पास अस्पतालों से क्या कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इतनी डेथ्स इससे हो गई हैं। दिल्ली प्रशासन आपका यह कहता है कि हमें डैथ्स की कोई सूचना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सूचना आई है यह कब तक की है। यह सूचना आज तक की है या इससे पहले किसी और तारीख तक की है।

मैं आपका बहुत कम समय लूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या देश के किसी अन्य भाग में भी ऐसी घटना होने की कोई सूचना आपको मिली है और क्या इस बात की खोज हो रही है कि कहीं पर ऐसी बीमारी है। क्या आप इसका पता लगा रहे हैं?

आपने बताया है कि अब तक सर्वेक्षित सभी क्षेत्रों में कुल 213 रोगियों का पता लगाया जा चुका है और 92 लोग इस रोग की चपेट में हैं। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 में एक प्रावधान है, जिसके माध्यम से सरकार अगर कोई **फूड पायजनिंग** का केस हो, तो उसमें कार्यवाही कर सकती है। शायद वह सैक्शन 10 में है, जो इस समय मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके अन्तर्गत सरकार गजट नोटीफिकेशन के द्वारा प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स से यह कह सकती है कि यदि उनके पास पायजनिंग के केस आएं तो वे सरकार को सूचना दें।

आपने एक बात और कही है कि इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस तरह की कड़ी निगाह रखी जा रही है। क्या सिर्फ यही कड़ी निगाह है कि आदमी भेज दिए और प्रचार हो गया। क्या जहां-जहां इसकी सम्भावना है, वहां इसके लिए आपने कोई पहल की है? स्लम् एरियाज में और जहां पर लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं वहां पर इस तरह की बातों की सम्भावना अधिक होती है। आज भी अखबारों में पढ़ा है कि नजफगढ़ रोड,

पंखा रोड, रेलवे लाइन गुड़गांव के पास के इलाके इससे प्रभावित हो सकते हैं। मंत्री महोदय सदन को आश्वस्त करें कि ऐसे सम्भावित इलाकों को उनके लोग सक्रिय रूप से देख रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है और भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

सरकार कानून बना सकती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ?

एक माननीय सदस्य : आपका सहयोग चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह : हम तो हमेशा ही सहयोग की बात करते हैं। आज सारे विश्व में यह बात कही जाती है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। आज लोग यह गाना गाने लगे हैं—"हम उस देश के वासी हैं जहां आटे में कंकड़-पत्थर पिसते हैं।" (**व्यवधान**) क्या आप कानून को कड़ाई से लागू करेंगे। मैंने इसके प्रावीजन देखे हैं। अगर इनके अन्तर्गत कार्यवाही होती तो लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ न होता। प्रशासन की इकाइयों को कड़ा करने की आवश्यकता है। जब कोई मामला बड़े पैमाने पर सामने आता है तब सरकार का इस ओर ध्यान जाता है। सरकार को इसमें गम्भीरता से कदम उठाने चाहिएं।

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, it is a matter which deserves the serious attention of the Government as well as the House. It is a health issue and so the problem cannot be solved merely at the behest of the Government unless the society too cooperates with the Government in educating the people and to bring the culprits to book. (*Interruptions*) If there are States where such incidents are occurring, they may be brought to the notice of the Government. There are reports that such incidents are taking place in Gujarat and Rajasthan. We have already sent a team from the National Institute of Nutrition to Rajasthan and we are awaiting the report. As I said, as we came to know of this on the 5th of this month, immediately, the Administration swung into action and samples were lifted on the very next day and they were quick to analyse them and the analyst's report has come into the hands of the Government. They are taking necessary action in the matter. (*Interruptions*) The Delhi Administration planned such actions. A few of them I may quote. They are :

(1) The eight Delhi Administration dispensaries in the affected areas have been covered for the purpose ;

(2) Two mobile dispensaries of the M.C.D. have also been pressed into service in the affected Areas.

(3) Cantonment Health authorities have similarly intensified the medical relief operations in Jharela village.

(4) The Delhi Administration authorities have undertaken the intensive health education activities through medical teams working in the field.

In addition, newspaper insertions have been made advising the people to avoid using loose and cheap mustard oil and to take rest and to report to the nearest dispensary/hospital for necessary treatment.

Besides this, as I have already said, we need the cooperation of not only the hon. Members of Parliament but also that of the social workers and community workers in this regard.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we go to the next item. Shri Buta Singh...

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-ninth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Business